राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7(42) परि/नियम/मु./94/पार्ट–IV/2006/26608 जयपुर, दिनांकः 02/01/17

<u>कार्यालय आदेश 01/2017</u>

विभाग द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बीकानेर व जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़ को पत्रांक एफ 7(42) परि/नियम/मु.94/पार्ट–IV/7567 दिनांक 19.04.2016 के जरिये ट्रेक्टर–ट्रॉली के कृषि व व्यावसायिक प्रयोजन में उपयोग को स्पष्ट किया गया था। पत्र दिनांक 19.04.2016 का चतुर्थ पैरा निम्नानुसार हैः–

"केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2(b) एवं 2(c) में agricultural ट्रेक्टर व agricultural ट्रेलर को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार agricultural ट्रेक्टर–ट्रॉली द्वारा जब तक agricultural material का लदान करते हुये परिवहन किया जाता है तब तक उनको गैर परिवहन यान ही माना जावेगा। जिनको व्यावसायिक रूप में पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में इन वाहनों द्वारा गेहूं के परिवहन में उपयोग में लिया जाना है। निःसंदेह ही गेहूं agricultural material है। अतः इन वाहनों का इस प्रयोजन हेतु प्रयोग पूर्णतः नियम संगत है जब तक की इन वाहनों द्वारा agricultural material से भिन्न माल का परिवहन नहीं किया जा रहा हो अर्थात् कृषि प्रयोजनार्थ पंजीकृत ट्रेक्टर–ट्रॉली वाहनों द्वारा गेहूं अथवा अन्य कृषि खाद्यान्न के परिवहन करने को व्यावसायिक उपयोग नहीं माना जायेगा एवं इनके व्यावसायिक वाहन के रूप में पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। अतः शिथिलन का प्रश्न ही शेष नहीं रह जाता है।"

विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 19.04.2016 से व्यथित होकर प्रभावित व्यक्तियों द्वारा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में डी.बी. सिविल रिट पिटिशन (पी.आई.एल.) संख्या 4449/2016 सुभाष सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य वाद दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में पारित निर्णय में विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 19.04.2016 में ट्रेक्टर–ट्रॉली के कृषि व व्यावसायिक प्रयोजन हेतु दिये गये स्पष्टीकरण के विपरीत ट्रेक्टर–ट्रॉली के कृषि व व्यावसायिक प्रयोजन की व्याख्या की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2016 का प्रभावी भाग निम्नानुसार है:—

"In general, the "agricultural material" means the material which is to be used for agricultural purposes, such as seeds, fertilizers, agricultural equipments, pesticides etc. It may also include agricultural produce if a farmer carries it to market. However, after its sale to a trader or agent or any other body that does not remain agricultural produce, but a material which is to be used for a purpose or object different than agriculture. So far as the wheat is concerned, it remains agricultural produce till its sale by its producer to a trader or agent or anybody, but subsequent thereto it becomes a food produce or food material."

अर्थात् ट्रेक्टर–ट्रॉली का कृषि व व्यावसायिक प्रयोजन निम्नानुसार है:—

1. ऐसे उत्पाद जिनका उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ यथा बीज, खाद, कृषि यंत्र इत्यादि तथा किसान द्वारा कृषि के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद जो कि विक्रय हेतु बाजार (कृषि मंडी/क्रय केन्द्र/खाद्य निगम के गोदाम) तक लाये जाते है, को कृषि उत्पाद माना जायेगा। इस प्रकार के उत्पादों का परिवहन गैर परिवहन श्रेणी के ट्रेक्टर–ट्रॉली के द्वारा किया जा सकेगा।
2. किसान द्वारा कृषि उत्पाद को किसी संस्था/व्यापारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय किये जाने पश्चात् ऐसे उत्पाद को खाद्य उत्पादन अथवा खाद्य सामग्री माना जायेगा। अर्थात् इस प्रकार किये जाने विक्रय के पश्चात् ऐसी सामग्री के परिवहन को वाणिज्यिक/व्यावसायिक श्रेणी का परिवहन माना जायेगा व इसका परिवहन वाणिज्यिक/व्यावसायिक श्रेणी में पंजीकृत ट्रेक्टर–ट्रॉली के माध्यम से ही किया जा सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर डी.बी. सिविल रिट पिटिशन (पी.आई.एल.) संख्या 4449/2016 सुभाष सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 19.04.2016 में की गई व्याख्या के विपरीत होने के फलस्वरूप पत्र दिनांक 19.04.2016 को प्रत्याहूत (Withdraw) किया जाता है एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय **(प्रति संलग्न)** के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक : एफ 7(42) परि/नियम/मु./94/पार्ट–IV/2006/26609-26615 जयपुर, दिनांकः 02/01/17

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. मुख्यालय अधिकारीगण (समस्त)।
5. प्रादेशिक/ अति. प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

23/12

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)